अध्याय–I

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप

अध्याय–I

1. राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप

प्रस्तावना

1.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में राज्य सरकार की कम्पनियाँ तथा सांविधिक निगम सम्मिलित हैं। राज्य के पीएसयू की स्थापना जनकल्याण को ध्यान में रखते हुए व्यावसायिक प्रकृति की गतिविधियों को सम्पादित करने के लिए की जाती है तथा राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान भी रखते हैं। 31 मार्च 2016 को उत्तर प्रदेश में 103 पीएसयू थे (***परिशिष्ट–1.1***)। इनमें से कोई भी कम्पनी स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध नहीं थी। वर्ष 2015–16 के दौरान, उत्तर प्रदेश टायर एवं ट्यूब लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी) नामक एक कम्पनी को कारपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा विघटन करने के कारण बन्द कर दिया गया। 31 मार्च 2016 को उत्तर प्रदेश के पीएसयू का विवरण तालिका 1.1 में दिया गया है।

तालिका 1.1: 31 मार्च 2016 को पीएसयू की कुल संख्या

पीएसयू के प्रकार	कार्यरत पीएसयू	अकार्यरत पीएसयू[1]	योग
सरकारी कम्पनियाँ[2]	58	38	96
सांविधिक निगम	7	शून्य	7
योग	**65**	**38**	**103**

स्रोतः पीएसयू द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना

सितम्बर 2016 को उनके अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार, कार्यरत पीएसयू ने ₹ 85,281.53 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया। यह टर्नओवर 2015–16 के लिए राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 7.39 प्रतिशत के बराबर था। सितम्बर 2016 को उनके अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार, कार्यरत पीएसयू को कुल ₹ 17,789.91 करोड़ की हानि हुई। मार्च 2016 की समाप्ति पर, इनमें 1.14 लाख[3] कर्मचारी कार्यरत थे।

31 मार्च 2016 को 38 पीएसयू पिछले चार से 41 वर्षों तक से कार्य नहीं कर रहीं थीं जिनमें ₹ 1,058.90 करोड़ का निवेश था। यह एक जोखिम युक्त क्षेत्र है क्योंकि अकार्यरत पीएसयू में निवेश राज्य के आर्थिक विकास में योगदान नहीं करता है।

जवाबदेही तंत्र

1.2 सरकारी कम्पनियों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा, कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 139 तथा 143 के सम्बन्धित प्रावधानों से अधिशासित होती है। अधिनियम की धारा 2 (45) के अनुसार, सरकारी कम्पनी का तात्पर्य है, कोई कम्पनी जिसकी चुकता अंश पूँजी का कम से कम 51 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारों या अंशतः केन्द्रीय सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारित हो एवं इसमें वह कम्पनी शामिल है जो ऐसी सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी हो।

इसके अलावा, अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा 7 के अनुसार, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी), धारा 139 की उप–धारा (5) या उप–धारा (7) के अन्तर्गत आच्छादित किसी कम्पनी के मामले में, यदि आवश्यक समझे, एक आदेश द्वारा ऐसी कम्पनी के लेखों की नमूना लेखापरीक्षा करा सकता है तथा ऐसे नमूना लेखापरीक्षा

---

1 अकार्यरत पीएसयू वे हैं जिन्होंने अपने संचालन बन्द कर दिये है।

2 सरकारी कम्पनियों में, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) एवं 139(7) में सन्दर्भित अन्य कम्पनियाँ शामिल हैं।

3 37 पीएसयू के द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण के अनुसार। शेष 28 पीएसयू ने विवरण उपलब्ध नहीं कराया।

के प्रतिवेदन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 ए के प्रावधान लागू होंगे। इस प्रकार, एक सरकारी कम्पनी या कोई अन्य कम्पनी जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारों या अंशतः केन्द्रीय सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्य सरकारों के स्वामित्व अथवा नियंत्रण में हो, सीएजी की लेखापरीक्षा के अधीन है। 31 मार्च 2014 या उससे पहले शुरू होने वाले वित्तीय वर्षों के सम्बन्ध में कम्पनी के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों द्वारा ही अधिशासित रहेगी।

सांविधिक लेखापरीक्षा

1.3 सरकारी कम्पनियों (जैसा कि अधिनियम की धारा 2 (45) में वर्णित है) के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 139 (5) या (7) के प्रावधानों के अनुसार सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा की जाती है, जो कम्पनी की अन्य बातों के अलावा अधिनियम की धारा 143 (5) के अन्तर्गत वित्तीय विवरणों के साथ लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति सीएजी को प्रस्तुत करेंगे। ये वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 143 (6) के प्रावधानों के अन्तर्गत सीएजी की अनुपूरक लेखापरीक्षा के अधीन होते हैं।

सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनसे सम्बन्धित विधानों से अधिशासित है। सात सांविधिक निगमों में से, सीएजी, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, उत्तर प्रदेश वन निगम तथा उत्तर प्रदेश जल निगम का एकल लेखापरीक्षक है। उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम तथा उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा की जाती है तथा अनुपूरक लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा की जाती है।

सरकार एवं विधानमंडल की भूमिका

1.4 राज्य सरकार अपने प्रशासकीय विभागों के माध्यम से इन पीएसयू के मामलों पर नियंत्रण रखती है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा बोर्ड के निदेशकों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है।

पीएसयू में सरकारी निवेश के लेखांकन एवं उपयोग का अनुश्रवण राज्य विधानमंडल भी करता है। इसके लिए, राज्य की सरकारी कम्पनियों के सम्बन्ध में सांविधिक अंकेक्षकों के प्रतिवेदनों तथा सीएजी की टिप्पणियों के साथ–साथ वार्षिक प्रतिवेदनों को तथा सांविधिक निगमों की दशा में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को, अधिनियम की धारा 394 अथवा जैसा सम्बन्धित अधिनियमों में प्रावधानित हो, के अन्तर्गत राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को सीएजी (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 ए के अन्तर्गत शासन को प्रस्तुत किया जाता है।

उत्तर प्रदेश सरकार की हिस्सेदारी

1.5 इन पीएसयू में राज्य सरकार की भारी वित्तीय हिस्सेदारी है। यह हिस्सेदारी मुख्यतः तीन प्रकार की है:

- **अंश पूँजी एवं ऋण**–अंश पूँजी अंशदान के अलावा राज्य सरकार समय–समय पर पीएसयू को ऋणों के माध्यम से वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है।

- **विशेष वित्तीय सहायता**–राज्य सरकार, पीएसयू को जब कभी आवश्यकता हो, अनुदान और सब्सिडी के रूप में बजटीय सहायता प्रदान करती है।

- **प्रत्याभूतियाँ**–पीएसयू द्वारा वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋणों के ब्याज सहित पुनर्भुगतान हेतु राज्य सरकार प्रत्याभूतियाँ भी देती है।

राजकीय पीएसयू में निवेश

1.6 31 मार्च 2016 को, 103 पीएसयू (अधिनियम की धारा 139 (5) तथा 139 (7) के अधीन कम्पनियों को शामिल करते हुए) में ₹ 1,96,277.76 करोड़ का निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण) था, जिसका विवरण तालिका 1.2 में दिया गया है।

तालिका 1.2: पीएसयू में कुल निवेश

(₹ करोड़ में)

पीएसयू के प्रकार	सरकारी कम्पनियाँ			सांविधिक निगम			महायोग
	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	योग	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	योग	
कार्यरत पीएसयू	119012.41	74375.30	193387.71	610.73	1220.42	1831.15	195218.86
अकार्यरत पीएसयू	704.35	354.55	1058.90	0.00	0.00	0.00	1058.90
योग	**119716.76**	**74729.85**	**194446.61**	**610.73**	**1220.42**	**1831.15**	**196277.76**

स्रोतः पीएसयू द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना

31 मार्च 2016 को, राजकीय पीएसयू में कुल निवेश का 99.46 प्रतिशत कार्यरत पीएसयू में तथा शेष 0.54 प्रतिशत अकार्यरत पीएसयू में था। इस कुल निवेश में 61.30 प्रतिशत पूँजी के मद में तथा 38.70 प्रतिशत दीर्घावधि ऋणों में समाहित था। 2011–12 में निवेश ₹ 97,867.69 करोड़ से 200.55 प्रतिशत बढ़कर 2015–16 में ₹ 1,96,277.76 करोड़ हो गया, जैसा कि चार्ट 1.1 में दर्शित है।

चार्ट 1.1: पीएसयू में कुल निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण)

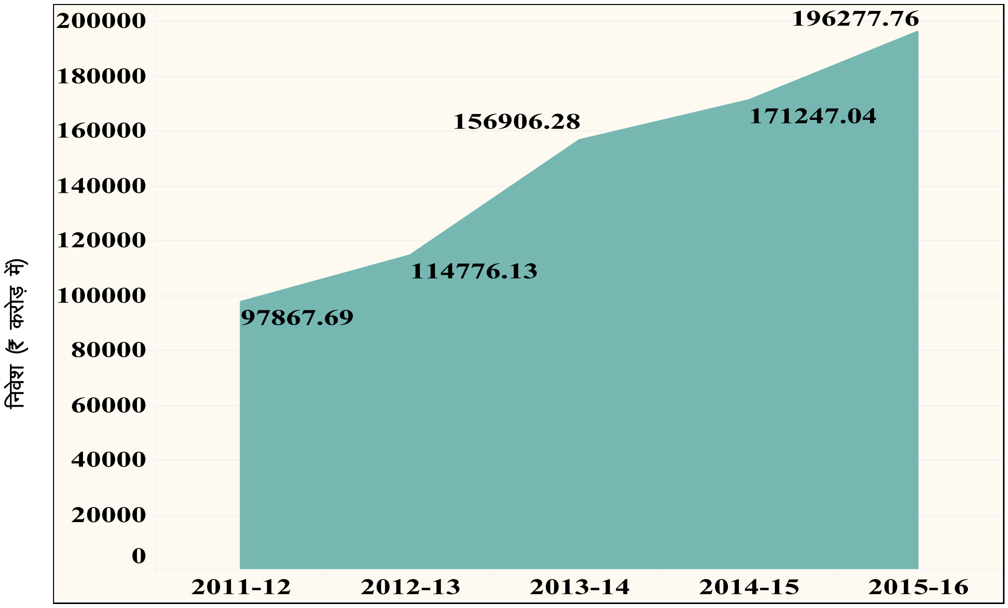

1.7 31 मार्च 2016 को राजकीय पीएसयू में निवेश का क्षेत्रवार सारांश तालिका 1.3 में दिया गया है।

तालिका 1.3: पीएसयू में क्षेत्रवार निवेश

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र का नाम	सरकारी/अन्य कम्पनियाँ		सांविधिक निगम	कुल निवेश
	कार्यरत	अकार्यरत	कार्यरत	
ऊर्जा	188358.47	0.00	0.00	188358.47
विनिर्माण	3367.58	729.37	0.00	4096.95
वित्त	548.76	6.65	827.31	1382.72

क्षेत्र का नाम	सरकारी/अन्य कम्पनियाँ		सांविधिक निगम	कुल निवेश
	कार्यरत	अकार्यरत	कार्यरत	
सेवा	66.62	26.49	720.44	813.55
अवसंरचना	865.17	271.14	270.03	1406.34
कृषि एवं सम्बद्ध	143.29	25.25	13.37	181.91
विविध	37.82	0.00	0.00	37.82
योग	**193387.71**	**1058.90**	**1831.15**	**196277.76**

स्रोतः पीएसयू द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना

31 मार्च 2012 एवं 31 मार्च 2016 की समाप्ति पर चार महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश तथा उनकी प्रतिशतता को बार चार्ट 1.2 में इंगित किया गया है।

चार्ट 1.2: पीएसयू में क्षेत्रवार निवेश

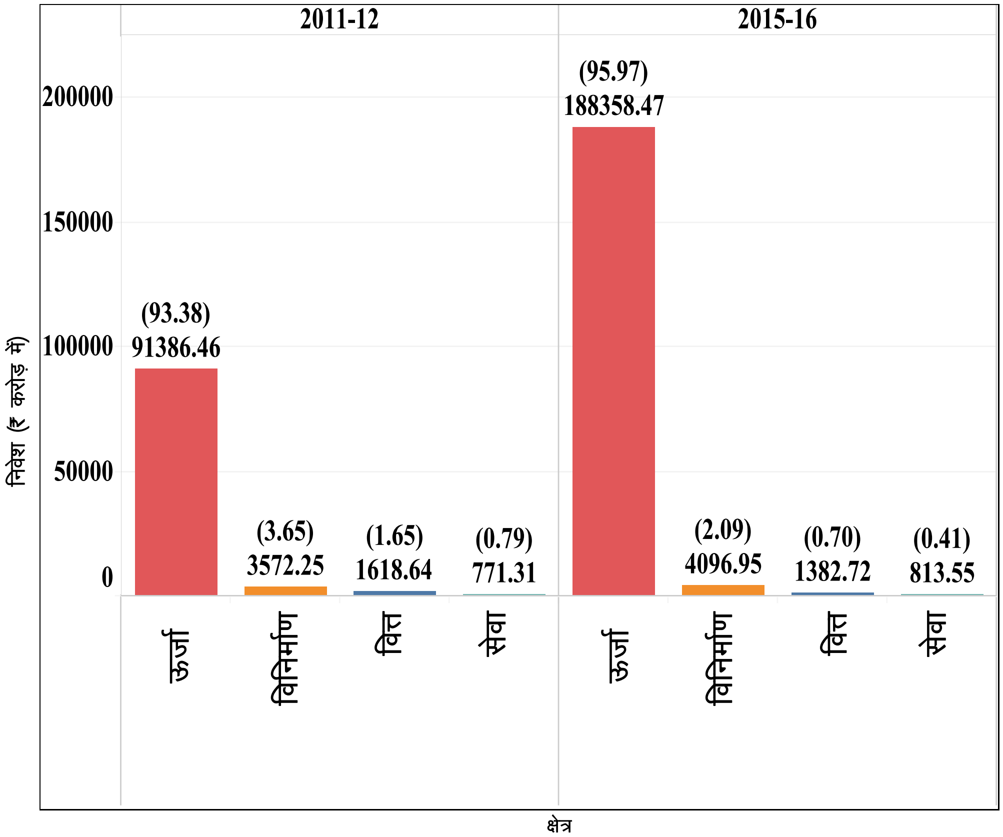

(कोष्ठकों के आँकड़े कुल निवेश पर क्षेत्र निवेश की प्रतिशतता को दर्शाते हैं)

चार्ट 1.2 दर्शाता है कि चार महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से पीएसयू निवेश का बल मुख्यतः ऊर्जा क्षेत्र में था जो 2011–12 में ₹ 91,386.46 करोड़ (93.38 प्रतिशत) से बढ़कर 2015–16 में ₹ 1,88,358.47 करोड़ (95.97 प्रतिशत) हो गया। पीएसयू निवेश का शेष भाग अन्य तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों यथा विनिर्माण, वित्त तथा सेवा में विभक्त था, जो 2011–12 में 6.09 प्रतिशत से घटकर 2015–16 में 3.20 प्रतिशत हो गया।

वर्ष के दौरान विशेष सहायता और प्रतिलाभ

1.8 राज्य सरकार वार्षिक बजट के माध्यम से विभिन्न रूपों में पीएसयू को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 2015–16 को समाप्त हुए तीन वर्षों के लिए पीएसयू के सम्बन्ध में इक्विटी, ऋण, अनुदान/सब्सिडी, ऋणों का अपलेखन तथा ब्याज की माफी के रूप में बजटीय बहिर्गमन का संक्षिप्त विवरण तालिका 1.4 में दिया गया है।

तालिका 1.4: पीएसयू को बजटीय सहायता से सम्बन्धित विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	विवरण	2013–14		2014–15		2015–16	
		पीएसयू की संख्या	धनराशि	पीएसयू की संख्या	धनराशि	पीएसयू की संख्या	धनराशि
1.	बजट से इक्विटी पूंजी में बहिर्गमन	5	5324.42	6	11464.85	6	19251.33
2.	बजट से दिये गये ऋण	6	123.80	6	138.78	3	162.73
3.	बजट से अनुदान/सब्सिडी	7	2890.07	10	3977.38	3	380.10
4.	**कुल बहिर्गमन (1+2+3)**	**17**[4]	**8338.29**	**19**[4]	**15581.01**	**9**[4]	**19794.16**
5.	इक्विटी में परिवर्तित ऋण	-	-	3	1210.28	-	-
6.	ब्याज की माफी	-	-	-	-	-	-
7.	निर्गत प्रत्याभूतियाँ	3	124.68	3	241.00	2	2761.25
8.	प्रत्याभूति प्रतिबद्धता	5	9120.15	5	59822.93	5	35218.47

स्रोत: पीएसयू द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना

पिछले पाँच वर्षों हेतु इक्विटी, ऋण तथा अनुदान/सब्सिडी के रूप में बजटीय बहिर्गमन से सम्बन्धित विवरण चार्ट 1.3 में दिया गया है।

चार्ट 1.3: इक्विटी, ऋण तथा अनुदान/सब्सिडी के रूप में बजटीय बहिर्गमन

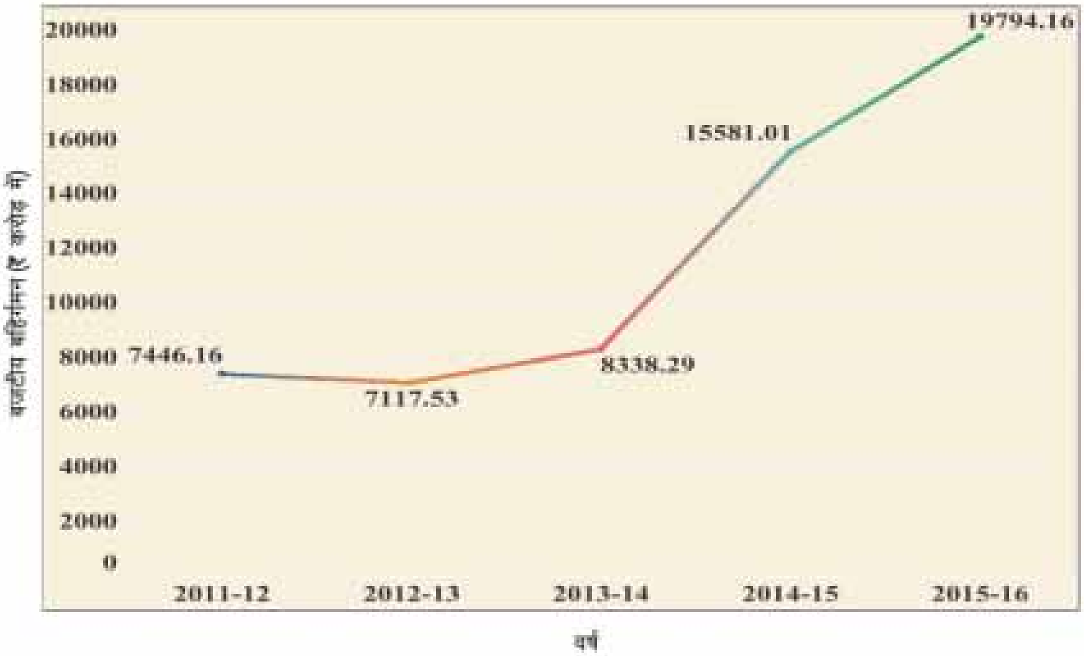

चार्ट 1.3 दर्शाता है कि पीएसयू को इक्विटी, ऋण तथा अनुदान/सब्सिडी के रूप में बजटीय बहिर्गमन में वृद्धि की प्रवृत्ति थी तथा 2011–12 से 2015–16 के दौरान इसमे 265.83 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई, सिवाय 2012–13 के, जहाँ 2011–12 के बजटीय बहिर्गमन की तुलना में 4.41 प्रतिशत की थोड़ी कमी हुई।

तालिका 1.4 से यह देखा जा सकता है कि अदत्त प्रत्याभूति की धनराशि 2015–16 में ₹ 35,218.47 करोड़ रही, जिसमे 2014–15 से 2015–16 के दौरान 41.13 प्रतिशत की महत्वपूर्ण कमी दर्ज हुई।

[4] ये पीएसयू की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करते हैं, जिनको बजटीय सहायता प्राप्त हुई। कुछ पीएसयू एक से अधिक श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं।

पीएसयू को बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु सक्षम करने के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) प्रत्याभूति प्रदान करती है, जिसके लिए 0.25 प्रतिशत से एक प्रतिशत की दर से प्रत्याभूति कमीशन प्रभारित किया जाता है जैसा कि ऋणदाताओं के आधार पर जीओयूपी द्वारा निर्णीत किया जाए। पाँच पीएसयू[5] द्वारा 2014–15 तक देय प्रत्याभूति कमीशन की धनराशि ₹ 4.46 करोड़ थी इसमें से, चार पीएसयू[6] ने वर्तमान वर्ष के दौरान ₹ 3.36 करोड़ के प्रत्याभूति कमीशन का भुगतान किया। संचित/बकाया प्रत्याभूति कमीशन कम हो के ₹ 1.17 करोड[7] रह गयी इसमें वर्तमान वर्ष के दौरान एक पीएसयू[8] द्वारा देय कमीशन ₹ सात लाख शामिल थी।

वित्त लेखे के साथ समाधान

1.9 राजकीय पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार अदत्त इक्विटी, ऋण एवं प्रत्याभूति के आँकड़े राज्य के वित्त लेखे में दिये गये आँकड़ों से मिलने चाहिये। यदि आँकड़े नहीं मिलते हैं तो सम्बन्धित पीएसयू एवं वित्त विभाग को अन्तरों का समाधान करना चाहिये।

31 मार्च 2016 को इस सम्बन्ध में स्थिति, तालिका 1.5 में बताई गई है।

तालिका 1.5: वित्त लेखे के साथ–साथ पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार अदत्त इक्विटी, ऋण एवं प्रत्याभूतियाँ

(₹ करोड़ में)

के सम्बन्ध में अदत्त	वित्त लेखे के अनुसार धनराशि	पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार धनराशि	अन्तर
इक्विटी	66942.29	87713.59	20771.30
ऋण	8772.61	7234.31	1538.30
प्रत्याभूतियाँ	54456.28	35218.47	19237.81

स्रोतः वर्ष 2015–16 के राज्य के वित्त लेखे तथा पीएसयू द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना

लेखापरीक्षा ने 14 पीएसयू के सम्बन्ध में वित्त लेखे तथा पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार आँकड़ों के मध्य अन्तर पाया एवं कुछ अन्तरों का समाधान 2000–01 से लम्बित था। महालेखाकार ने वित्त लेखे तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) के आँकड़ों के मध्य अन्तर के समाधान न किये जाने के मामले को नियमित रूप से पीएसयू के साथ यह कहते हुए उठाया कि समाधान में शीघ्रता की जाये। सरकार तथा पीएसयू को समयबद्ध तरीके से अन्तरों का समाधान करने के लिये ठोस कदम उठाने चाहिये।

लेखाओं के लम्बित अन्तिमीकरण

1.10 कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 96 (1) सपठित धारा 129 (2) के प्रावधानों के अनुसार, कम्पनियों के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणों का अन्तिमीकरण सम्बन्धित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के अन्दर अर्थात् सितम्बर के अन्त तक करना होता है। इसमें विफलता, अधिनियम की धारा 99 के प्रावधानों के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही को आकर्षित करती है, जो प्रावधान करता है कि कम्पनी जिसने देरी किया है, के प्रत्येक अधिकारी को अर्थदण्ड, जो कि ₹ एक लाख तक विस्तारित की जा सकती है तथा सतत देरी के मामलों में जिस दौरान ऐसी देरी बनी रहती है के लिए प्रति दिन ₹ पाँच हजार, तक विस्तारित अतिरिक्त अर्थदण्ड से दण्डित

---

5 दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेण्ट कारपोरेशन आफ यू.पी. लिमिटेड (₹ 0.49 करोड़), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (₹ 1.45 करोड़), उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (₹ 0.81 करोड़), उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड (₹ 1.69 करोड़) एवं पश्चिमाँचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 0.02 करोड़)।

6 उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड (₹ 1.69 करोड़), पश्चिमाँचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 0.02 करोड़), उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (0.20 करोड़) एवं उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (₹ 1.45 करोड़)।

7 दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेण्ट कारपोरेशन आफ यू.पी. लिमिटेड (₹ 0.56 करोड़) एवं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (₹ 0.61 करोड़)।

8 दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेण्ट कारपोरेशन आफ यू.पी. लिमिटेड।

किया जायेगा। इस प्रकार देरी के लिए सरकारी कम्पनियों के प्रबंधन, जिनके लेखे लम्बित हैं, उत्तरदायी हैं। इसी प्रकार, सांविधिक निगमों की दशा में, उनके लेखाओं का अन्तिमीकरण, लेखापरीक्षण तथा राज्य विधानमंडल में प्रस्तुतीकरण, उनसे सम्बन्धित अधिनियम के अनुसार होता है।

तालिका संख्या 1.6 कार्यरत पीएसयू के लेखाओं के अन्तिमीकरण के सम्बन्ध में 30 सितम्बर 2016 तक की गयी प्रगति के विवरणों को दर्शाती है।

तालिका 1.6ः कार्यरत पीएसयू के लेखाओं के अन्तिमीकरण से सम्बन्धित स्थिति

क्रम सं0	विवरण	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16
1.	कार्यरत पीएसयू/अन्य कम्पनियों की संख्या	85	87	87	65	65
2.	वर्ष के दौरान अन्तिमीकृत किये गये लेखाओं की संख्या	66	84	42	43	48
3.	लम्बित लेखाओं की संख्या	234	228	273	249[9]	266
4.	लम्बित लेखाओं वाले कार्यरत पीएसयू की संख्या	81	82	83	61	62
5.	लम्बित लेखाओं की अवधि	1 से 16 वर्ष	1 से 17 वर्ष	1 से 18 वर्ष	1 से 19 वर्ष	1 से 20 वर्ष

स्रोतः पीएसयू के अद्यतन अन्तिमीकृत लेखे

जैसा तालिका 1.6 में दर्शाया गया है, कि लम्बित लेखाओं की संख्या 2011–12 में 234 से बढ़कर 2015–16 में 266 हो गई। 2011–12 से 2015–16 के दौरान लम्बित लेखाओं की औसत संख्या प्रति कार्यरत पीएसयू 2.75 तथा 4.09 के मध्य रही। 65 कार्यरत पीएसयू में से केवल तीन पीएसयू[10] ने वर्ष 2015–16 के अपने लेखाओं का अन्तिमीकरण किया जबकि सितम्बर 2016 को 62 पीएसयू के 266 लेखे एक से 20 वर्ष की अवधि से बकाये थे।

प्रशासकीय विभागों का यह दायित्व है कि वे इन पीएसयू के कार्यकलापों का पर्यवेक्षण करें तथा यह सुनिश्चित करें कि इन पीएसयू द्वारा उनके लेखे निर्दिष्ट समय–सीमा में अन्तिमीकृत और अंगीकृत कर लिये जायें। सम्बन्धित विभागों को इस सम्बन्ध में वरिष्ठ उपमहालेखाकार द्वारा नियमित रूप से सूचित किया गया। इसके अलावा, लम्बित लेखाओं के निस्तारण हेतु प्रकरण, तिमाही अर्धशासकीय पत्रों के माध्यम से महालेखाकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव तथा प्रमुख सचिव (वित्त) के साथ उठाया गया। यद्यपि, कोई सुधार नहीं हुआ।

1.11 राज्य सरकार ने वर्ष के दौरान नौ कार्यरत पीएसयू में ₹ 19,794.16 करोड़ (इक्विटीः ₹ 19,251.33 करोड़, ऋणः ₹ 162.73 करोड़, अनुदानः ₹ 320.93 करोड़ तथा सब्सिडीः ₹ 59.17 करोड़) का निवेश किया, जिनके लेखाओं का अन्तिमीकरण नहीं किया गया था जैसा कि **परिशिष्ट–1.2** में दिया गया है। लेखाओं के अन्तिमीकरण तथा उनकी पश्चात्वर्ती लेखापरीक्षा के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि निवेश एवं व्यय सही तरीके से लेखांकित किये गये थे तथा जिस उद्देश्य हेतु धनराशि निवेशित की गयी थी वह प्राप्त हुआ या नहीं। इस प्रकार, ऐसे पीएसयू में सरकार का निवेश राज्य विधानमंडल के नियंत्रण से बाहर रहा।

---

[9] उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनियों के 44 बकाया लेखे तथा वेस्टर्न यू. पी. पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, जिसको 22 सितम्बर 2011 से निजी स्वामित्व के अधीन कर दिया गया, के दो बकाया लेखाओं को छोड़कर।

[10] परिशिष्ट–1.1 की क्रम संख्या अ–1, 18 एवं 19।

1.12 उपर्युक्त के अतिरिक्त, 30 सितम्बर 2016 को अकार्यरत पीएसयू के लेखाओं के अन्तिमीकरण लम्बित थे। 38 अकार्यरत पीएसयू में से, 12[11] पीएसयू समापन की प्रक्रिया में थे, जिनके 315 लेखे[12] नौ से 41 वर्षों तक से लम्बित थे। शेष 26 अकार्यरत पीएसयू के 422 लेखे, 30 सितम्बर 2016 को, एक से 33 वर्षों की अवधि से लम्बित थे। अकार्यरत पीएसयू के सम्बन्ध में लम्बित लेखाओं की स्थिति तालिका 1.7 में दी गई है।

तालिका 1.7: अकार्यरत पीएसयू के सम्बन्ध में लम्बित लेखाओं की स्थिति

वर्ष	अकार्यरत पीएसयू की संख्या	लम्बित लेखाओं की संख्या	अवधि जिनसे सम्बन्धित लेखे लम्बित थे	वर्षों की संख्या जिनसे सम्बन्धित लेखे लम्बित थे
2013–14	39	695	1974–75 से 2013–14	1 से 39
2014–15	39	728	1974–75 से 2014–15	1 से 40
2015–16	38	737	1974–75 से 2015–16	1 से 41

स्रोतः अकार्यरत पीएसयू द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना

तालिका 1.7 दर्शाती है कि 2013–14 में लम्बित लेखाओं की संख्या 695 से बढ़कर 2015–16 में 737 (6.04 प्रतिशत) हो गई। 2013–14 से 2015–16 के दौरान लम्बित लेखाओं की औसत संख्या प्रति अकार्यरत पीएसयू 18 तथा 19 के मध्य रही, जो अकार्यरत पीएसयू के लम्बित लेखाओं की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को परिलक्षित करता है।

लेखाओं का अन्तिमीकरण न किये जाने का प्रभाव

1.13 जैसा कि प्रस्तर 1.10 से 1.12 में इंगित किया गया है, लेखाओं के अन्तिमीकरण में विलम्ब, सम्बन्धित नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के अतिरिक्त, जनता के धन की धोखाधड़ी और उसके दुरूपयोग का भी जोखिम उत्पन्न कर सकता है। लम्बित लेखाओं की उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 2015–16 के लिए राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में पीएसयू का वास्तविक योगदान आँकलित नहीं किया जा सका तथा राजकोष में उनके योगदान को राज्य विधानमंडल को प्रतिवेदित भी नहीं किया गया।

अतः यह संस्तुति की जाती है किः

- **सरकार, समयबद्ध तरीके से लम्बित लेखाओं के निस्तारण की देखरेख हेतु एक प्रकोष्ठ का गठन करे तथा अलग–अलग कम्पनियों हेतु लक्ष्य निर्धारित करे जिसका अनुश्रवण इस प्रकोष्ठ द्वारा किया जाए; तथा**

- **जहाँ कर्मचारियों या विशेषज्ञता का अभाव है, लेखाओं को तैयार करने से सम्बन्धित कार्यों के लिए सरकार आउटसोर्सिंग पर विचार करे।**

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रस्तुतीकरण

1.14 निगम की वित्तीय लेखापरीक्षा पूर्ण होने पर, पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट (एसएआर) निगम के प्रबंध निदेशक और राज्य सरकार को निर्गत की जाती है। प्रत्येक निगम से संबंधित विधान के अनुसार, प्रबंध निदेशक, एसएआर विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु राज्य सरकार को अग्रेषित करने के लिए उत्तरदायी है। राज्य सरकार एसएआर को राज्य विधानमंडल में रखवाती है।

तालिका 1.8 में दर्शित स्थिति, सांविधिक निगमों के लेखाओं पर सीएजी द्वारा निर्गत (30 सितम्बर 2016 तक) एसएआर को राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की स्थिति को दर्शाती है।

---

[11] परिशिष्ट–1.1 की क्रम संख्या स–2, 3, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 22 एवं 24।

[12] वर्ष 2015–16 के दौरान कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश टायर एवं ट्यूब लिमिटेड का विघटन करने के कारण 22 बकाये लेखे को छोड़कर।

तालिका 1.8: एसएआर को राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की स्थिति

क्रम सं0	सांविधिक निगम का नाम	वर्ष जहाँ तक एसएआर राज्य विधानमंडल में रखी गयी	वर्ष जिनकी एसएआर राज्य विधानमंडल के समक्ष नहीं रखी गयी		
			एसएआर का वर्ष	सरकार को निर्गत करने की तिथि	एसएआर के प्रस्तुतीकरण न करने के कारण
1.	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	2011–12	2012–13 2013–14	6 जून 2014 2 सितम्बर 2015	निगम द्वारा कारण नहीं बताया गया
2.	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	2007–08	2008–09 2009–10 2010–11 2011–12 2012–13	20 मई 2011 13 अप्रैल 2012 27 अगस्त 2012 16 सितम्बर 2013 12 नवम्बर 2015	निगम द्वारा कारण नहीं बताया गया
3.	उत्तर प्रदेश वन निगम[13]	--	2008–09 2009–10 2010–11 2011–12 2012–13 2013–14	9 मार्च 2011 16 नवम्बर 2011 21 सितम्बर 2012 11 जुलाई 2013 6 जून 2014 21 अप्रैल 2015	निगम द्वारा कारण नहीं बताया गया
4.	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	2010–11	2011–12 2012–13 2013–14	16 सितम्बर 2013 7 नवम्बर 2014 20 अगस्त 2015	निगम द्वारा कारण नहीं बताया गया
5.	उत्तर प्रदेश जल निगम	2007–08	2008–09 2009–10 2010–11	3 अगस्त 2011 20 मई 2013 12 दिसम्बर 2013	निगम द्वारा कारण नहीं बताया गया
6	उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम	2011–12	2012–13 2013–14	29 जून 2015 20 जुलाई 2016	निगम द्वारा कारण नहीं बताया गया

स्रोतः निगमों द्वारा उपलब्ध कराई गई एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना

तालिका 1.8 से यह देखा जा सकता है कि निगमों ने राज्य विधानमंडल के समक्ष दो से छः वर्ष की एसएआर प्रस्तुत नहीं किया। महालेखाकार द्वारा एसएआर के प्रस्तुतीकरण में देरी का प्रकरण नियमित रूप से उठाया गया परन्तु प्रस्तुतीकरण के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गयी और उसके कारणों से भी अवगत नहीं कराया गया।

राज्य विधानमंडल में एसएआर का प्रस्तुतीकरण न करना सांविधिक निगमों पर विधायी नियंत्रण को कमजोर करता है और उनकी वित्तीय जवाबदेही को विरल करता है। सरकार को विधानमंडल में एसएआर का शीघ्र प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करना चाहिए।

अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार पीएसयू का निष्पादन

1.15 कार्यरत सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति एवं कार्यचालन परिणाम **परिशिष्ट–1.1** में वर्णित हैं। तालिका 1.9 में 2015–16 को समाप्त होने वाले पाँच वर्षों की अवधि के कार्यरत पीएसयू के टर्नओवर तथा राज्य की जीडीपी के विवरणों का उल्लेख किया गया।

[13] उत्तर प्रदेश वन निगम ने अपने वर्ष 2008–09 के लेखे उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम, 1974 के आवश्यक संशोधन को सम्मिलित करते हुए प्रस्तुत किये।

तालिका 1.9:कार्यरत पीएसयू के टर्नओवर के साथ–साथ राज्य की जीडीपी का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16
टर्नओवर[14]	42987.46	62432.56	65683.38	85138.42	85281.53
राज्य की जीडीपी	687836	769729	890265	976297	1153795
राज्य की जीडीपी से टर्नओवर का प्रतिशत	6.25	8.11	7.38	8.72	7.39

स्रोतः कार्यरत पीएसयू द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना एवं वित्त लेखे

तालिका 1.9 दर्शाती है कि कार्यरत पीएसयू का टर्नओवर 2011–12 एवं 2015–16 में क्रमशः ₹ 42,987.46 करोड़ तथा ₹ 85,281.53 करोड़ रहा जिसने उपर्युक्त अवधि के दौरान 98.39 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जिसके सापेक्ष राज्य की जीडीपी ने उसी अवधि के दौरान 67.74 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। हालांकि, राज्य की जीडीपी से टर्नओवर का प्रतिशत 2011–12 में 6.25 प्रतिशत से बढ़कर 2015–16 में 7.39 प्रतिशत हो गया।

1.16 2011–12 से 2015–16 के दौरान राज्य के कार्यरत पीएसयू द्वारा वहन की गई समग्र हानियों[15] को चार्ट 1.4 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.4: कार्यरत पीएसयू द्वारा वर्ष के दौरान की गयी समग्र हानियाँ

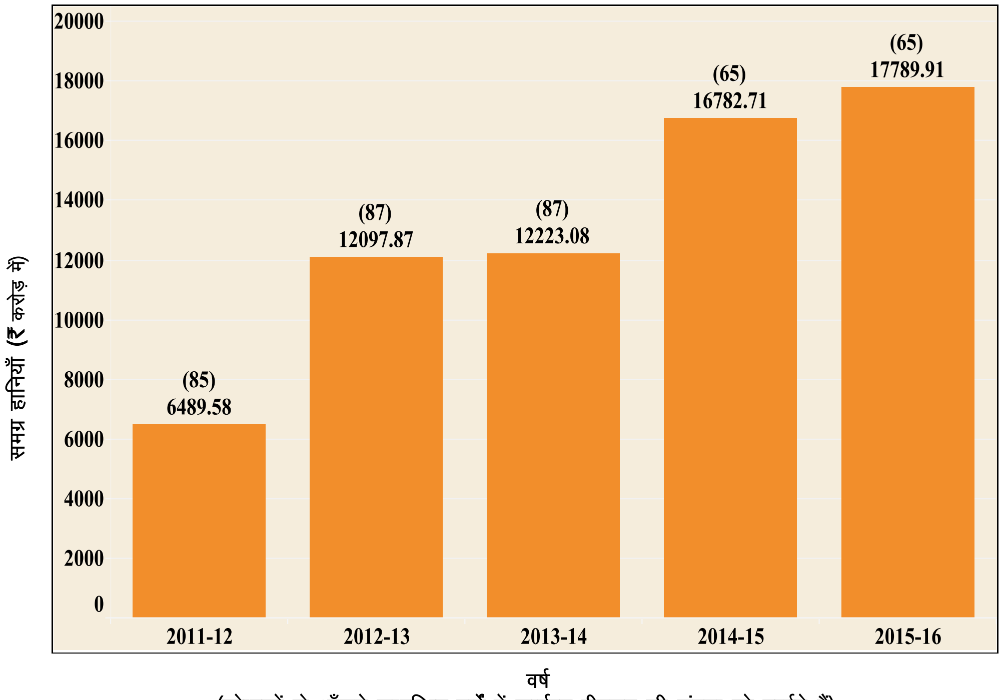

(कोष्ठकों के आँकड़े सम्बन्धित वर्षों में कार्यरत पीएसयू की संख्या को दर्शाते हैं)

चार्ट 1.4 दर्शाता है कि कार्यरत पीएसयू द्वारा वहन की गई हानियाँ 2011–12 में ₹ 6,489.58 करोड़ से बढ़कर 2015–16 में ₹ 17,789.91 करोड़ (174.13 प्रतिशत) हो गई, जो पीएसयू की क्षरणशील वित्तीय स्थिति को परिलक्षित किया।

30 सितम्बर 2016 तक अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार वर्ष 2015–16 के दौरान, 65 कार्यरत पीएसयू में से, 33 पीएसयू ने ₹ 707.52 करोड़ का लाभ अर्जित किया और 24 पीएसयू ने ₹ 18,497.43 करोड़ की हानि वहन की। चार कार्यरत

[14] 30 सितम्बर 2016 को अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार।
[15] 30 सितम्बर 2016 को अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार।

पीएसयू[16] ने अपने प्रथम लेखे प्रस्तुत नहीं किये थे जबकि चार कार्यरत पीएसयू[17] ने अपने लेखे 'न लाभ न हानि' के आधार पर तैयार किये। लाभ में मुख्य योगदानकर्ता, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड (₹ 207.19 करोड़), उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (₹ 98.71 करोड़), उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (₹ 92.63 करोड़) और उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम लिमिटेड (₹ 66.15 करोड़) थे। भारी हानि वहन करने वालों में दक्षिणाँचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 5,521 करोड़), पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 4,094.62 करोड़), मध्याँचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 3,262.77 करोड़) और पश्चिमाँचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 3,171.51 करोड़) थे।

1.17 पीएसयू (कार्यरत एवं अकार्यरत) के कुछ अन्य महत्वपूर्ण सूचकों को तालिका 1.10 में दिया गया है।

तालिका 1.10: राज्य पीएसयू के महत्वपूर्ण सूचक

(₹ करोड़ में)

विवरण[18]	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16
नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ[19] (प्रतिशत)	–	–	–	–	–
ऋण	35952.78	50259.24	86458.19	88850.29	75950.27
टर्नओवर (कार्यरत पीएसयू)	42987.46	62432.56	65683.38	85138.42	85281.53
ऋण–टर्नओवर अनुपात	0.84:1	0.81:1	1.32:1	1.04:1	0.89:1
ब्याज का भुगतान	1639.70	3756.60	4920.79	5182.60	5151.30
संचित हानियाँ	(29380.10)	(64555.91)	(77258.93)	(94151.70)	(91401.19)

स्रोतः पीएसयू द्वारा उपलब्ध कराई गई एवं लेखापरीक्षा द्वारा आगणित सूचना

यह देखा जा सकता है कि पीएसयू के ऋण 2011–12 एवं 2015–16 में क्रमशः ₹ 35,952.78 करोड़ तथा ₹ 75,950.27 करोड़ रहे जिसने उपर्युक्त अवधि के दौरान 111.25 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जिसके सापेक्ष ऋण–टर्नओवर अनुपात 2011–12 में 0.84:1 से बढ़कर 2015–16 में 0.89:1 हो गया। ऋणों में वृद्धि के समानान्तर ब्याज के भुगतान में वृद्धि का प्रभाव संचित हानियों पर पड़ा जिसने 2011–12 से 2015–16 के दौरान 211.10 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों के नकारात्मक प्रतिलाभ के कारण, निवेशित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ, सभी पाँच वर्षों में नकारात्मक रहा।

1.18 राज्य सरकार ने एक लाभांश नीति बनायी थी (अक्टूबर 2002) जिसके अन्तर्गत सभी लाभ अर्जित करने वाले पीएसयू को राज्य सरकार द्वारा योगदान की गयी चुकता अँश पूँजी पर न्यूनतम पाँच प्रतिशत का न्यूनतम प्रत्याय देना था। अपने अद्यतन अन्तिमीकृत किये गये लेखाओं के अनुसार 33 पीएसयू ने ₹ 707.52 करोड़ का कुल लाभ अर्जित किया तथा 10 पीएसयू[20] ने ₹ 7.90 करोड़ का लाभांश घोषित किया। शेष लाभ अर्जित करने वाले पीएसयू ने न्यूनतम लाभांश के भुगतान के सम्बन्ध में राज्य सरकार की नीति का अनुपालन नहीं किया।

अकार्यरत पीएसयू का समापन

1.19 31 मार्च 2016 को 38 अकार्यरत पीएसयू थे (36 सरकारी कम्पनियाँ तथा अधिनियम की धारा 139(5) तथा 139(7) के अधीन दो कम्पनियाँ)। इनमें से, 12 पीएसयू में समापन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गयी है। चूँकि अकार्यरत पीएसयू राज्य की

---

16 परिशिष्ट–1.1 की क्रम संख्या अ–53, अ–56, अ–57 एवं अ–58।

17 यूसीएम कोल कम्पनी लिमिटेड, मेरठ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, जवाहर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड एवं इलाहाबाद सिटी सर्विसेज ट्रान्सपोर्ट।

18 30 सितम्बर 2016 को अद्यतन अन्तिमीकृत किये गये लेखाओं के अनुसार।

19 नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ, ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों के नकारात्मक प्रतिलाभ के कारण, नकारात्मक रहा।

20 परिशिष्ट–1.1 की क्रम संख्या अ–6, अ–12, अ–13, अ–15, अ–16, अ–24, अ–46, अ–48, अ–51 एवं ब–1।

अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं कर रहे हैं तथा अभीष्ठ उद्‌देश्यों को प्राप्त नहीं कर रहे हैं, इन पीएसयू को या तो बन्द करने या पुनरोद्धार करने हेतु विचार किया जा सकता है। 2015–16 के दौरान दो अकार्यरत पीएसयू[21] ने स्थापना व्यय पर ₹ 59 लाख व्यय किया। यह व्यय उपर्युक्त पीएसयू की धारक कम्पनी द्वारा वित्तपोषित किया गया।

1.20 अकार्यरत पीएसयू की बन्दी के चरण नीचे तालिका 1.11 में दिये गये हैं।

तालिका 1.11: अकार्यरत पीएसयू की बन्दी

क्रम सं0	विवरण	कम्पनियाँ
1.	अकार्यरत पीएसयू की कुल संख्या	38
2.	उपर्युक्त (1) में से निम्न के अधीन पीएसयू की संख्या :	
(अ)	न्यायालय द्वारा समापन (समापक नियुक्त)	12
(ब)	ऐच्छिक समापन (समापक नियुक्त)	–
(स)	बन्द अर्थात बन्द करने के आदेश/निर्देश पारित परन्तु समापन प्रक्रिया अभी प्रारम्भ नहीं	26

स्रोतः रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना

वर्ष 2015–16 के दौरान, उत्तर प्रदेश टायर एवं ट्यूब लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की सहायक) नामक एक कम्पनी का अन्तिम समापन हुआ था। बारह पीएसयू, जिन्होंने न्यायालय द्वारा समापन के मार्ग को अपनाया, वे 10 से 35 वर्षों से समापन प्रक्रिया में हैं। शेष 26 पीएसयू चार से 41 वर्षों से अकार्यरत हैं, इन कम्पनियों को बन्द करने के राज्य सरकार के निर्णय के बाद भी, समापन की प्रक्रिया अभी तक प्रारम्भ नहीं हुयी है।

कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत ऐच्छिक समापन की प्रक्रिया ज्यादा त्वरित है तथा इसे दृढ़ता से अपनाने/अनुगमन करने की आवश्यकता है।

लेखा टिप्पणियाँ

1.21 महालेखाकार को 31[22] कार्यरत कम्पनियों ने अपने 44 संप्रेक्षित लेखे[23] वर्ष 2015–16[24] के दौरान प्रेषित किये। इनमें से, 27 कम्पनियों के 38 लेखे[25] अनुपूरक लेखापरीक्षा हेतु चुने गये। सीएजी के द्वारा नियुक्त सांविधिक अंकेक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा सीएजी की अनुपूरक लेखापरीक्षा, लेखाओं के रखरखाव की गुणवत्ता में वृहद् सुधार की आवश्यकता को इंगित करते हैं। सांविधिक अंकेक्षकों तथा सीएजी की टिप्पणियों के कुल मौद्रिक मूल्य के विवरणों को तालिका 1.12 में दिया गया है।

तालिका 1.12: कार्यरत कम्पनियों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	विवरण	2013–14		2014–15		2015–16	
		लेखाओं की संख्या	धनराशि	लेखाओं की संख्या	धनराशि	लेखाओं की संख्या	धनराशि
1.	लाभ में कमी	10	68.55	10	43.92	15	224.75
2.	हानि में वृद्धि	15	248.82	9	7.11	5	42.58
3.	महत्वपूर्ण तथ्यों का अप्रकटीकरण	11	9057.64	12	2290.30	4	11286.83
4.	वर्गीकरण की गलतियाँ	3	255.37	2	2.20	1	10.67
	योग	**39**	**9630.38**	**33**	**2343.53**	**25**	**11564.83**

स्रोतः लेखापरीक्षा द्वारा आगणित आँकड़े

---

21 घाटमपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड और उत्तर प्रदेश बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड।

22 परिशिष्ट–1.1 की क्रम संख्या अ–1, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 38, 40, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 51, 52 तथा 55।

23 उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, नोएडा मेट्रो रेल निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश डेवलपमेन्ट सिस्टम निगम लिमिटेड एवं इलाहाबाद सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेस निगम लिमिटेड, प्रत्येक के दो लेखाओं, तथा जवाहर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम लिमिटेड, प्रत्येक के चार लेखाओं, को सम्मिलित करते हुए।

24 अक्टूबर 2015 से सितम्बर 2016।

25 चार कम्पनियों के छः लेखे अनुपूरक लेखापरीक्षा हेतु नहीं चुने गये। इन्हे असमीक्षा प्रमाण पत्र जारी किया गया।

सांविधिक अंकेक्षकों तथा सीएजी की टिप्पणियों का कुल मौद्रिक मूल्य वर्ष 2013–14 में ₹ 9,630.38 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015–16 में ₹ 11,564.83 करोड़ हो गया। इसके अलावा, टिप्पणियों का प्रति लेखा औसत मौद्रिक मूल्य 2013–14 में ₹ 246.93 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015–16 में ₹ 462.59 करोड़ हो गया। इसने लेखाओं की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता को इंगित किया।

वर्ष के दौरान, सांविधिक अंकेक्षकों ने 42 लेखों पर क्वालीफाइड प्रमाणपत्र, एक लेखा[26] पर एडवर्स प्रमाणपत्र तथा एक लेखा[27] पर डिस्क्लेमर दिया। कम्पनियों द्वारा लेखांकन मानकों का अनुपालन खराब रहा क्योंकि वर्ष के दौरान 26 लेखाओं में लेखांकन मानकों के उल्लंघन सम्बन्धी 95 दृष्टान्त पाये गये।

1.22 इसी प्रकार, 2015–16[28] के दौरान चार कार्यरत सांविधिक निगमों ने अपने चार लेखे महालेखाकार को प्रेषित किये। इनमें से दो सांविधिक निगमो[29] के दो लेखे सीएजी द्वारा एकल लेखापरीक्षा से सम्बन्धित थे, जो कि पूर्ण किये गये। शेष दो लेखे अनुपूरक लेखापरीक्षा हेतु चुने गये। सांविधिक अंकेक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा सीएजी की एकल/अनुपूरक लेखापरीक्षा, लेखाओं के रखरखाव की गुणवत्ता में वृहद् सुधार की आवश्यकता को इंगित करती है। सांविधिक अंकेक्षकों तथा सीएजी की टिप्पणियों के कुल मौद्रिक मूल्य का विवरण तालिका संख्या 1.13 में दिया गया है।

तालिका 1.13: कार्यरत सांविधिक निगमों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	विवरण	2013–14		2014–15		2015–16	
		लेखाओं की संख्या	धनराशि	लेखाओं की संख्या	धनराशि	लेखाओं की संख्या	धनराशि
1.	लाभ में कमी	4	731.98	3	232.85	2	3.66
2.	हानि में वृद्धि	1	4.05	1	10.00	–	–
3.	महत्वपूर्ण तथ्यों का अप्रकटीकरण	–	–	4	704.58	1	448.02
4.	वर्गीकरण की गलतियाँ	–	–	2	20.05	–	–
	योग	**5**	**736.03**	**10**	**967.48**	**3**	**451.68**

स्रोतः लेखापरीक्षा द्वारा आगणित आँकड़े

सांविधिक अंकेक्षकों तथा सीएजी की टिप्पणियों का कुल मौद्रिक मूल्य वर्ष 2013–14 में ₹ 736.03 करोड़ से घटकर वर्ष 2015–16 में ₹ 451.68 करोड़ हो गया। इसके अलावा, टिप्पणियों का प्रति लेखा औसत मौद्रिक मूल्य 2013–14 में ₹ 147.21 करोड़ से बढ़कर 2015–16 में ₹ 150.56 करोड़ हो गया। इसने लेखाओं की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता को इंगित किया।

वर्ष के दौरान, चार[30] लेखों में से एक[31] लेखा में क्वालीफाइड प्रमाणपत्र तथा एक[32] लेखा पर एडवर्स प्रमाण पत्र दिया गया, जो सीएजी की एकल लेखापरीक्षा से सम्बन्धित थे। शेष दो लेखाओं में से, सांविधिक अंकेक्षकों, ने एक[33] लेखा पर क्वालीफाइड प्रमाणपत्र तथा एक[34] लेखा पर एडवर्स प्रमाण पत्र दिया। सांविधिक निगमों द्वारा

[26] उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड।
[27] उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड।
[28] अक्टूबर 2015 से सितम्बर 2016 तक।
[29] उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद एवं उत्तर प्रदेश वन निगम।
[30] परिशिष्ट–1.1 की क्रम संख्या ब–1, 3, 6 एवं 7।
[31] उत्तर प्रदेश वन निगम (2014–15)।
[32] उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (2014–15)।
[33] उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम (2013–14)।
[34] उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी कल्याण निगम (2012–13)।

लेखांकन मानकों का अनुपालन खराब रहा क्योंकि वर्ष के दौरान दो लेखाओं में लेखांकन मानकों के उल्लंघन सम्बन्धी पाँच दृष्टान्त पाये गये।

लेखापरीक्षा के सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया

निष्पादन लेखापरीक्षाएं एवं प्रस्तर

1.23 31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन हेतु दो निष्पादन लेखापरीक्षाएं, तीन लेखा परीक्षाएं जैसे दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में मीटरिंग प्रणाली की लेखापरीक्षा, उत्तर प्रदेश जल निगम के निर्माण एवं परिकल्प सेवाऐं खण्ड द्वारा चयनित शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली के निर्माण पर लेखापरीक्षा, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा देयकों की वसूली की लेखापरीक्षा, एक अनुसरण लेखापरीक्षा एवं 14 संव्यवहार लेखापरीक्षा प्रस्तरों को सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिवों को छः सप्ताह के अन्दर उत्तर प्रेषित करने हेतु अनुरोध के साथ निर्गत किया गया था। हालांकि, दो निष्पादन लेखापरीक्षाओं, दो लेखापरीक्षाओं जैसे दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में मीटरिंग प्रणाली की लेखापरीक्षा एवं उत्तर प्रदेश जल निगम के निर्माण एवं परिकल्प सेवाऐं खण्ड द्वारा चयनित शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली के निर्माण पर लेखापरीक्षा, एक अनुसरण लेखापरीक्षा एवं 14 संव्यवहार लेखापरीक्षा प्रस्तरों के उत्तर राज्य सरकार से प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2016)।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुगामी कार्यवाही

अप्राप्त उत्तर

1.24 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन लेखापरीक्षा जाँच की प्रक्रिया के चरमोत्कर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए, यह आवश्यक है कि कार्यकारी से उपयुक्त एवं समय से उत्तर प्राप्त हों। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में सम्मिलित प्रस्तरों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं के उत्तर/व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ, राज्य विधानमण्डल में प्रतिवेदन के प्रस्तुत होने के दो से तीन माह के अन्दर निर्धारित प्रारूप में, सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) से प्रश्नावलियों की प्रतीक्षा किये बिना, प्रस्तुत करने हेतु, सभी प्रशासनिक विभागों को वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ने निर्देश निर्गत किया था (जून 1987)। अप्राप्त व्याख्यात्मक टिप्पणियों की स्थिति को तालिका 1.14 में दिया गया।

तालिका 1.14: अप्राप्त व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ (30 सितम्बर 2016 को)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक/पीएसयू) का वर्ष	राज्य विधानमण्डल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अन्तर्गत कुल निष्पादन लेखापरीक्षाएं (पीए) एवं प्रस्तर		पीए/प्रस्तरों की संख्या जिनकी व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुईं	
		पीए	प्रस्तर	पीए	प्रस्तर
2010–11	30 मई 2012	2	13	0	8
2011–12	16 सितम्बर 2013	2	14	1	6
2012–13	20 जून 2014	1	19	1	2
2013–14	17 अगस्त 2015	2	15	2	9
2014–15	8 मार्च 2016	6	12	6	11
योग		**13**	**73**	**10**	**36**

स्रोतः लेखापरीक्षा द्वारा संकलित की गयी सूचना

उपर्युक्त से यह देखा जा सका कि 73 प्रस्तरों एवं 13 निष्पादन लेखापरीक्षाओं जिन पर टिप्पणियाँ की गयी थीं, में से 10 विभागों से सम्बन्धित 36 प्रस्तरों एवं 10 निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्रतीक्षित थीं (सितम्बर 2016)।

कोपू द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर विचार–विमर्श

1.25 30 सितम्बर 2016 को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक/पीएसयू) में सम्मिलित किये गये निष्पादन लेखापरीक्षाओं एवं प्रस्तरों तथा जिनपर कोपू ने विचार–विमर्श पूर्ण किया की स्थिति तालिका 1.15 में दी गयी है।

तालिका 1.15: 30 सितम्बर 2016 को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित एवं विचार विमर्श की गयी निष्पादन लेखापरीक्षाएं/प्रस्तर

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	निष्पादन लेखापरीक्षाएं (पीए)/प्रस्तरों की संख्या			
	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित		पीए तथा प्रस्तर जिन पर विचार–विमर्श पूर्ण हो गया	
	पीए	प्रस्तर	पीए	प्रस्तर
1982–83 से 2009–10 तक	135	901	78	539
2010–11	3[35]	13	0	3
2011–12	2	14	0	4
2012–13	1	19	0	6
2013–14	2	15	0	2
2014–15	6	12	0	0
योग	**149**	**974**	**78**	**554**

स्रोतः लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना

सार्वजनिक उपक्रम समिति के प्रतिवेदनों का अनुपालन

1.26 कोपू के आन्तरिक कार्य प्रणाली की नियमावली के अन्तर्गत महालेखाकार द्वारा एटीएन के पुनरीक्षण हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसलिए, कोपू द्वारा एटीएन पर विचार–विमर्श के समय विभागों द्वारा कोपू की संस्तुतियों से सम्बन्धित एटीएन महालेखाकार को उपलब्ध कराये जाते हैं। इसलिए एटीएन की स्थिति की चर्चा यहाँ नहीं की गयी है।

यह संस्तुति की जाती है कि सरकार सुनिश्चित करे :

- **निर्धारित समय सूची के अनुसार, प्रस्तरों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं के उत्तर/व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्रेषित कर दीं जायें;**

- **लेखापरीक्षा प्रेक्षण पर प्रतिक्रिया उपलब्ध कराने की प्रणाली की बेहतरी हेतु बदलाव किया जाये।**

पीएसयू के विनिवेश, पुनर्गठन एवं निजीकरण तथा ऊर्जा क्षेत्र में सुधार

1.27 2015–16 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में पीएसयू के विनिवेश, पुनर्गठन, निजीकरण एवं ऊर्जा क्षेत्र में सुधार से सम्बन्धित कोई मामला नहीं था।

[35] उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की चीनी मिलों के विक्रय पर स्टैंड अलोन निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को शामिल करते हुए।